

पंजीय
23/11/2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब ना म	प्रतिवादी
राजस्थान सरकार के पण्डित मन्मथ पण्डित		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत

वाद-पत्र नम्बर 177 / 2021 GCMS No. 2021/875

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

23/11/2021

वादी श्री राजदीप पुत्र अक्षयपुत्र
जाति मन्मथ निवासी पण्डित द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत पण्डित में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2072-72 के ग्राम पण्डित पटवार मण्डल पण्डित के खाता नम्बर 178 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि राजदीप पुत्र के पण्डित मन्मथ के रेकर्ड का-रेकर्ड दर्ज है, जो अशुद्ध है।

वादी का शुद्ध नाम राजदीप पुत्र अक्षयपुत्र मन्मथ मन्मथ है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. आधार नम्बर

मतदाता पहचान पत्र अन्य दस्तावेज पण्डित मन्मथ पण्डित मन्मथ 178 की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

इस संबंध में हल्का पटवारी पण्डित भू.अ.नि मन्मथ एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है।

अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दाखल हो।

758-760



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)